



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना धामपुर

दिनांक – 26.05.2024

थाना धामपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 199/2024 धारा 306/201 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 02.05.2024 को वादी श्री चन्दन चौहान पुत्र श्री मनोज चौहान निवासी ग्राम नरसिंहपुर थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ उ0प्र0 द्वारा थाना धामपुर पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्तगण 1.योगराज व 2.ममतेश पुत्रगण मूलचन्द, 3.गगन व 4.सोनू पुत्रगण महेश 5.मोनू पुत्र रमेश 6.रेखा पत्नी ममतेश निवासीगण ग्राम हकीमपुर नारायण उर्फ नंगला थाना धामपुर जनपद बिजनौर द्वारा दिनांक 25.04.2024 को वादी की बहन के साथ मारपीट की गयी । दिनांक 29.04.2024 को वादी को पता चला कि उपरोक्त अभियुक्तगण द्वारा वादी की बहन को मार दिया तथा हम लोगों को बिना बताये वादी की बहन का अंतिम संस्कार भी कर दिया ।



तहरीर के आधार पर थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 199/2024 धारा 302/201 भादवि बनाम योगराज आदि कुल 06 नफर उपरोक्त पंजीकृत किया गया । विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग से धारा 302 भादवि का लोप कर धारा 306 भादवि की वृद्धि की गयी । दिनांक 03.05.2024 को स्थानीय पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त योगराज पुत्र मूलचन्द निवासी ग्राम हकीमपुर नारायण थाना धामपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया जा चुका है ।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 26.05.2024 को थाना धामपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 199/2024 धारा 306/201 भादवि में वांछित अभियुक्त सोनू उर्फ सोहन कुमार पुत्र महेश निवासी हकीमपुर नारायण थाना धामपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

सोनू उर्फ सोहन कुमार पुत्र महेश निवासी हकीमपुर नारायण थाना धामपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.प्रभारी निरीक्षक किशन अवतार सिंह थाना धामपुर जनपद बिजनौर
- 2.उ0नि0 श्री राकेश कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर
- 3.कां0 2062 धर्मेन्द्र थाना धामपुर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना अफजलगढ

दिनांक 26.05.2024

**थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 422/2023 धारा
420/467/468/471/504/506 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।**

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 09.11.2023 को वादिनी श्रीमति मीना कुमारी पत्नी श्री नृपेन्द्र कुमार निवासी ग्राम महावतपुर थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर द्वारा थाना अफजलगढ पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्त घनेन्द्र कुमार उर्फ छोटू पुत्र हरपेन्द्र कुमार उर्फ टिल्लू निवासी ग्राम जटपुरा थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर द्वारा वादिनी को अपनी गलत पहचान बताकर वादिनी के पुत्री की नौकरी लगवाने के नाम पर फर्जी जॉइनिंग लेटर देकर रुपये ठग लिये तथा बाद में रुपये वापस मांगने पर गाली-गलौच कर जान से मारने की धमकी दी गयी। तहरीर के आधार पर थाना अफजलगढ पर मु0अ0सं0 422/2023 धारा 420/467/468/471/504/506 भादवि बनाम अभियुक्त घनेन्द्र कुमार उपरोक्त पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही:-

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 26.05.2024 को थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 422/2023 धारा 420/467/468/471/504/506 भादवि में वांछित अभियुक्त घनेन्द्र कुमार उर्फ छोटू पुत्र हरपेन्द्र कुमार उर्फ टिल्लू निवासी ग्राम जटपुरा थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

घनेन्द्र कुमार उर्फ छोटू पुत्र हरपेन्द्र कुमार उर्फ टिल्लू निवासी ग्राम जटपुरा थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 मनोज कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।
2. हे0का0 60 राकेश कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली देहात

दिनांक – 26.05.2024

थाना कोतवाली देहात पुलिस ने मु0अ0सं0 111/2024 धारा 307/323/324/504/506/34
भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 25.05.2024 वादी श्री अनीस पुत्र बुन्दू शाह निवासी ग्रा0 फरीदपुर दुल्ला थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर द्वारा थाना कोतवाली देहात पर तहरीर दी गयी कि दिनांक 24.05.2024 को अभियुक्तगण 1.इमरान पुत्र अशरफ शाह 2.जुल्फकार पुत्र अख्तर 3.बाबू पुत्र अख्तर निवासीगण ग्राम फरीदपुर दुल्ला थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर द्वारा वादी के साथ गाली – गलौच करते हुए जान से मारने की नियत से धारदार हथियार व लाठी – डंडो से मारपीट कर घायल कर दिया तथा जान से मारने की धमकी दी गयी । तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 111/2024 धारा 307/323/324/504/506/34 भादवि बनाम इमरान आदि उपरोक्त कुल 03 नफर पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही –

जनपद में अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 26.05.2024 को थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त बाबू पुत्र अख्तर निवासी ग्राम फरीदपुर दुल्ला थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

बाबू पुत्र अख्तर निवासी ग्राम फरीदपुर दुल्ला थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 इन्देश कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर
2. हे0कां0 627 राजीव कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट- थाना नांगल

दिनांक 26.05.2024

थाना नांगल पुलिस ने अभियुक्त को अवैध शस्त्र सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्रों के निर्माण/बिक्री/परिवहन तथा अवैध शस्त्रों को रखने वाले अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 26.05.2024 को थाना नांगल पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त हरवेन्द्र पुत्र नौबहार निवासी ग्राम पुण्डरी कलां थाना नांगल जनपद बिजनौर को एक तमंचा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना नांगल पर मु0अ0सं0 104/24 धारा 3/25(1-बी)(ए) आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1.हरवेन्द्र पुत्र नौबहार निवासी ग्राम पुण्डरी कलां थाना नांगल जनपद बिजनौर।

बरामदगी का विवरण-

1-एक तमंचा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर

आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 26/17 धारा 323/498ए/504 भादवि व 3/4 दहेज अधि0 थाना नांगल जनपद बिजनौर।

2-मु0अ0सं0 104/24 धारा 3/25(1-बी)(ए) आर्म्स एक्ट थाना नांगल बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 गौरव कुमार थाना नांगल जनपद बिजनौर।

2- हे0का0 849 बहोरन सिंह थाना नांगल जनपद बिजनौर।